

**कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश**

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री बाल कृष्ण खन्ना, 2ए/206 आजादनगर ,कानपुर ।

प्रा०प०सं०- 294/2008

प्रार्थी की ओर से- श्री बाल कृष्ण खन्ना, प्रार्थी ।

**उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अर्न्तगत निर्णय**

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19-5-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें Fishnet cloth पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री बाल कृष्ण खन्ना, प्रार्थी उपस्थित हुये व उक्त जानकारी देने का अनुरोध किया

3- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया। वैट अधिनियम की अनुसूची-1 के क्रमांक-18 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है:-

18. Fishnet, fishnet fabrics, fish seeds, prawn / shrimp seeds.

अतः Fishnet cloth उक्त प्रविष्टि के आधीन करमुक्त है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

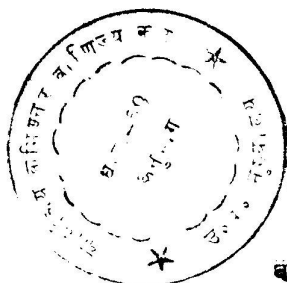
5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 25-9-2008

ह०/25-9-2008

( दीपक कुमार )

कमिश्नर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



प्रमाणित किया गया  
दिनांक 25-9-2008

वाणिज्य कर, लखनऊ